कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

कमांक 1081/दो–11–17/25 नर्मदापुरम,दिनांक 24/11/25

मैं, श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करती हूँ :–

अ– पेज कमांक 6 की कंडिका 5 तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम को विलोपित किया जाता है।

ब– पेज कमांक 5 की कंडिका 4 द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 13 के पश्चात निम्नानुसार कंडिकायें प्रतिस्थापित की जाता है :–

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
4	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम **(श्री अभिनव कुमार जैन)**	तहसील माखन नगर	14– सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,001/– से अधिक तथा 10,00,00,000/– तक हो। 15– हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 16– लघुवाद अधि0 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 501 से अधिक तथा 1000/– से अधिक न हो। 17– उपरोक्त सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामले तथा निष्पादन मामले। 18– हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि01956 के अंतर्गत मामले। 19– दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले। 20– इंडियन ल्यूनेंसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत मामले। 21– क्षेत्रांतर्गत हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 एवं विवाह संबंधी ऐसे वाद एवं आवेदन जिनकी सुनवाई की अनन्य अधिकारिता जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को है।
		मुख्यालय नर्मदापुरम पर प्रस्तुत होने वाले	22–रजिस्ट्री अधिसूचना कमांक ए/2727, (Exclusive POCSO)/ तीन–6–5/2010 FTSCs C.S.S. जबलपुर, दिनांक 07.04.24 अनुसार मुख्यालय नर्मदापुरम में प्रस्तुत होने वाले **लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)** के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण, रिमांड,जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाहीयां।
		संपूर्ण सेशन खंड नर्मदापुरम	23– कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के, **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ लैंगिक अपराध से बालकों का**

			संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण, रिमांड जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही। **24– किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (3)** के अधीन प्रेषित मामले जिनमें बालक के व्यस्क के भांति विचारण किए जाने हेतु स्थानांतरण किया गया है। 25– **किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम,** 2015 की धारा 86 द्वारा बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले। 26– **किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम, 2015** की धारा 101 के अंतर्गत अपील।

(श्रीमती तृप्ति शर्मा)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ0 क.4265/सां0लि0/2025 नर्मदापुरम,दिनांक 24/11/25

कार्यविभाजन पत्रक 2025 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :–

01– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
03– अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
04– प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
05– पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वास्ते – प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)